

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा (म0प्र0)

// विविध-आदेश //

क्रमांक 11 / सां0लि0-31 / 2005

हरदा दिनांक 10 / 02 / 2025

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक ए/8126/एक-7-3/2024 (भाग-1) जबलपुर दिनांक 25.11.2024 की कंडिका पांच में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी हरदा की अधिसूचना क्रमांक 93 दिनांक 03.01.2025 के आलोक में वर्ष 2025 के लिये घोषित निम्नलिखित स्थानीय अवकाश हरदा/टिमरनी/खिरकिया के समस्त न्यायालयों एवं अनुभागों के लिए भी घोषित किये जाते हैं :-

क्र	दिनांक	दिन	त्यौहार जिसके लिये स्थानीय अवकाश घोषित
1	19 मार्च 2025	बुधवार	रंगपंचमी
2	30 सितंबर 2025	मंगलवार	महाष्टमी
3	23 अक्टूबर 2025	गुरुवार	भाईदूज

नोट :- दिनांक 30.09.2025, महाष्टमी अवकाश तथा 23.10.2025, भाईदूज अवकाश माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर द्वारा वर्ष 2025 के कैलेण्डर में पूर्व से घोषित हैं।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
हरदा (म0प्र0)

पृ.क्र. 208 / सां0लि0-31 / 2005

हरदा दिनांक 11 / 02 / 2025

प्रतिलिपि :-

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, हरदा
3. समस्त न्यायिक अधिकारी एवं समस्त अनुभाग, हरदा/टिमरनी/खिरकिया
4. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरदा
5. कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी हरदा
6. पुलिस अधीक्षक हरदा
7. लोक अभियोजक, हरदा
8. जिला लोक अभियोजन अधिकारी, हरदा
9. कारागार अधीक्षक, जिला कारागार हरदा
10. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, हरदा/टिमरनी/खिरकिया की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
11. जनसम्पर्क अधिकारी, हरदा की ओर प्रकाशनार्थ प्रेषित ।
12. सिस्टम ऑफिसर कम्प्यूटर अनुभाग हरदा इस विविध आदेश की पी0डी0एफ0 प्रति संबंधित की ओर ई-मेल से प्रेषित करते हुये न्यायिक जिला स्थापना हरदा की आफिशियल वेबसाईट पर अपलोड करें।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
हरदा (म0प्र0)